20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. R भारत IND पाँच रुपये FIVE RUPE

(119)

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क. .... /2018 निगरानी.- 5948/2018/गुना/भू.रा.

हरिसिंह पुत्र हल्कूराम जाति चिडोर,हरिजन
आयु 50वर्ष,व्यवसाय–खेती निवासी मगराना
तहसील व जिला गुना म.प्र.

................निगरानीकर्ता

विपरीत

शासन

..........................प्रतिनिगरानीकर्ता

...रा आज दि. 28-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-10-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 9/निगरानी/1994–95 पारित आदेश दिनांक 19/7/1995 के विरुद्व एंव अपर कलेक्टर महो. गुना के प.क्र. 77/92–93 आदेश दिनांक 17/10/94 के विरुद्व निगरानी धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत.

28/09/18

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5948 /2018/ गुना /भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ग) के अन्तर्गत निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	